


बयान कराये गये। नकल जमाबंदी 2068-71 ग्राम फरेदुआ उपरेटी प्रदर्श कराई गई। बहस एकपक्षीय सुनी गई। नकल जमाबंदी 2068-71 ग्राम फरेदुआ उपरेटी आराजी खसरा नं० 148/3 रकबा 4.00 बीघा किस्म बरानी चतुर्थ के अनुसार वादी को प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है। प्रत्येक खातेदार को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपना खाता पृथक कराने का अधिकार है। वादी वादग्रस्त आराजीयात में 1/5 हिस्से का सहखातेदार है।

पत्रावली में पूर्व सुनवाई के बाद प्रारंभिक डिक्री जारी कर विवादित आराजी के अच्छी में से अच्छी एवं एवं हल्की में से हल्की भूमि के विभाजन प्रस्ताव तहसील से तलब किये जो शामिल मिसल है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव आराजी का निम्न प्रकार विभाजन स्वीकार किया जाता है।

क्र सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदारान	खसरा नं०	रकबा	किस्म	लगान
1	फरेदुआ उपरेटी	बृजमोहन पुत्र नन्नू कौम धोबी साकिन फरेदुआ उपरेटी खातेदार रहन यथावत्	148/3 पूर्वी	0.16 बीघा	बरानी चतुर्थ	0.24
2	फरेदुआ उपरेटी	जानकीलाल, रामजीलाल पुत्रान नन्नू गीताबाई पुत्री नन्नू नथिया बाई पत्नी स्वीर्गीय नन्नू कौम धोबी साकिन फरेदुआ उपरेटी हि० व० खातेदार रहन यथावत्	148/3 पश्चिमी	3.04 बीघा	बरानी चतुर्थ	0.94

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी का विभाजन किया जाता है। विभाजन के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को लिखा जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
उपसहायक अधिकारी  
साहिबगंज जिला न्यायालय (राज.)



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहबाद

अंतिम डिक्री मुकदमा इन्तदाई  
(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवान)  
आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम शाहबाद

इजलास कैलाशचन्द गुर्जर (आर.ए.एस)

1. बृजमोहन आयु 14 वर्ष पुत्र नन्नू जाति धोबी निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला बारां, राज0	बनाम	1. जानकीलाल पुत्र नन्नू जाति धोबी निवासी फरेदुआ उपरेटी तह0 शाहबाद जिला बारां, राज0 2. रामजीलाल पुत्र नन्नू जाति धोबी निवासी फरेदुआ उपरेटी तह0 शाहबाद जिला बारां, राज0 3. नथिया बाई बैवा नन्नू जाति धोबी निवासी फरेदुआ उपरेटी तह0 शाहबाद जिला बारां, राज0 4. गीताबाई पुत्री नन्नू जाति धोबी निवासी फरेदुआ उपरेटी तह0 शाहबाद जिला बारां, राज0
---	------	--

वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटी एक्ट मुकदमा नं0 34/14 / दावा/ 2014


उनवान : बृजमोहन बनाम जानकीलाल वगैरह

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु ..... व हाजरी ..... मिनजामिन मुददई व श्री ..... मिनजाबिन मुददाश्लह पेश हो कर दिनांक ..... को हुकम दिया जाता है व वाद नियमानुसार डिक्री किया जाता है कि

वादी का वाद स्वीकार कर आराजी का निम्न प्रकार विभाजन स्वीकार किया जाता है।

क्र सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदारान	खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान
1	फरेदुआ उपरेटी	बृजमोहन पुत्र नन्नू कौम धोबी साकिन फरेदुआ उपरेटी खातेदार रहन यथावत्	148/3 पूर्वी	0.16 बीघा	बारांनी चतुर्थ	0.24
2	फरेदुआ उपरेटी	जानकीलाल, रामजीलाल पुत्रान नन्नू गीताबाई पुत्री नन्नू नथिया बाई पत्नी स्वीर्गीय नन्नू कौम धोबी साकिन फरेदुआ उपरेटी हि0 व0 खातेदार रहन	148/3 पश्चिमी	3.04 बीघा	बारांनी चतुर्थ	0.94

निज ..... मुबलिंग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय शूद ..... फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... को अद करे।  
सब मेरे दस्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 05 सन 2019 को जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी  
शाहबाद जिला बारां (राज0)

कार्यालय उपखंड अधिकारी, शाहबाद

क्रमांक/राजस्व/ 2019

दिनांक :-

प्रतिलिपी:- तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित कर लेख है कि डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जाकर पालना सुनिश्चित करें।

उपखंड अधिकारी  
उपखण्ड शाहबाद जिला बारां (राज0)

